प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)

प्रमुख बिंदु

- **शुरुआत:** दिसंबर 2018
- **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक योजना
- **उद्देश्य:** संपूर्ण **भारत में भूमि-धारक किसान परिवारों** को वित्तीय सहायता प्रदान करना
- **सहायता राशि: 6,000 रुपए** प्रतिवर्ष (**2,000** रुपए की 3 **समान किश्तें**)
- **पात्रता:** सभी भूमिधारक किसान (कुछ अपवादों को छोड़कर)
- **लाभार्थी की पहचान:** योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार **राज्य सरकारों** और **केंद्रशासित प्रदेशों** द्वारा की जाती है।

PM-KISAN:

यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक योजना** (भारत सरकार द्वारा 100% वित्तपोषित) है जिसे **दिसंबर 2018 में संपूर्ण भारत** में सभी **भूमि-धारक किसान परिवारों को वित्तीय सहायता** प्रदान करने के क्रम में शुरू किया गया था।

//

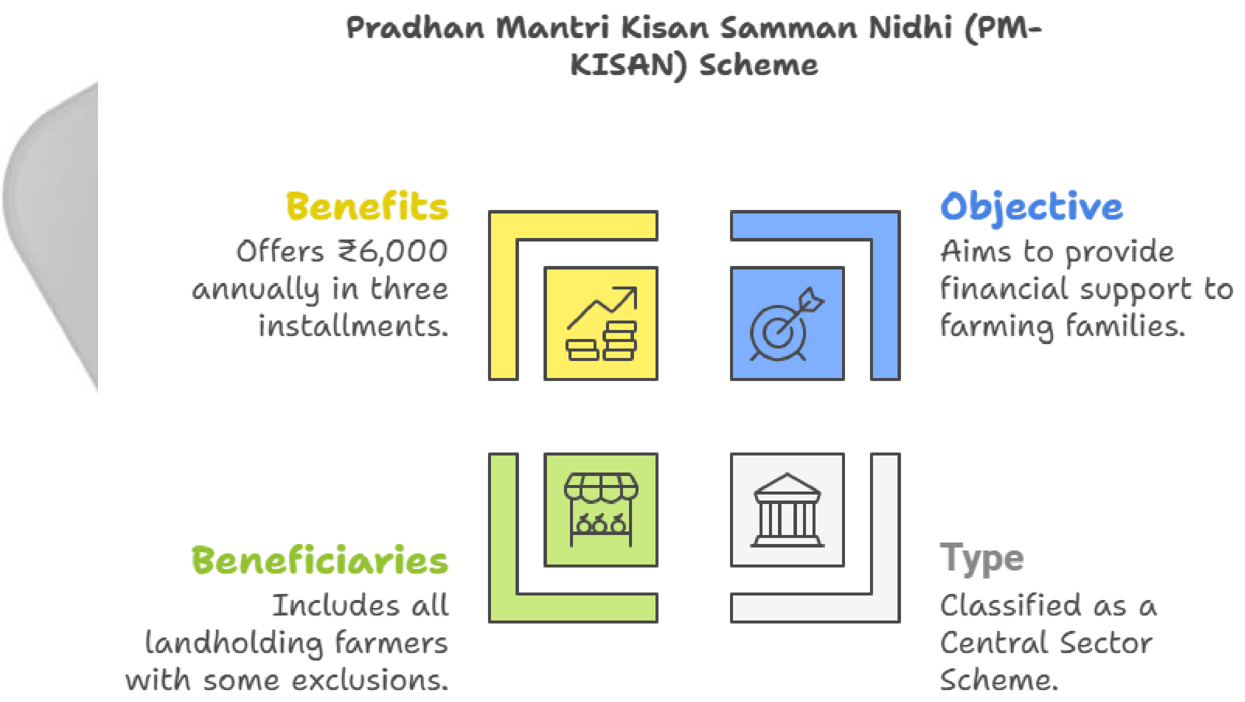

PM-KISAN योजना की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **आय सहायता:** इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह आय सहायता 2,000 रुपए की **तीन समान किस्तों** में लाभान्वित किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की जाती है।

- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण**: इससे सुनिश्चित होता है कि पारदर्शिता को बढ़ावा देने एवं विलंब को कम करने के क्रम में धनराशि को प्रत्यक्ष रूप से लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाए।
- **पात्रता**: सभी भूमिधारक किसान परिवार (जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि है) इस योजना के अंतर्गत लाभ के पात्र हैं।
  - **परिवार की परिभाषा**: इस योजना के प्रयोजनों हेतु एक किसान "परिवार" में पति, पत्नी एवं नाबालिग बच्चों को शामिल किया गया है।
- **लाभार्थी की पहचान**: पात्र किसान परिवारों की पहचान करने की ज़िम्मेदारी योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार **राज्य सरकारों एवं केंद्रशासित प्रदेशों (UT)** की है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी**: कृषि **एवं किसान कल्याण मंत्रालय** का **कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (DA&FW)** कार्यान्वयन एजेंसी है।
  - इस योजना को लागू करने के लिये DA&FW सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के **कृषि विभाग के साथ कार्य** करता है।
- **KCC लिंकेज**: सरकार ने किसानों की औपचारिक ऋण तक पहुँच को सुव्यवस्थित करने, दस्तावेज़ीकरण को कम करने और मौजूदा लाभार्थी डेटा का उपयोग करके ऋण प्रसंस्करण को तेज़ करने के लिये **किसान क्रेडिट कार्ड को PM-KISAN** के साथ जोड़ा गया।

PM-KISAN योजना की बहिष्करण श्रेणियाँ क्या हैं?

PM-KISAN योजना में उच्च आर्थिक स्थिति वाले लाभार्थियों को शामिल नहीं किया गया है, जिससे वे लाभ के लिये अपात्र हो गए हैं। ये बहिष्करण इस प्रकार हैं:

- **संस्थागत भूमिधारक**: सभी संस्थागत भूमिधारक पात्र नहीं होते हैं।
- **उच्च आर्थिक स्थिति वाले कृषक परिवार: ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य संवैधानिक पद पर** है या रह चुका है।
  - पूर्व एवं वर्तमान मंत्री (केंद्रीय या राज्य), संसद सदस्य (लोकसभा/राज्यसभा), राज्य विधानसभा/परिषद साथ ही नगर निगमों के पूर्व/वर्तमान महापौर और ज़िला पंचायतों के अध्यक्ष।
- **सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी**: केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों, विभागों तथा क्षेत्रीय इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारी, जिनमें **सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (PSE)** व सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान और स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी शामिल हैं।
  - यह बहिष्कार मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS), श्रेणी IV या ग्रुप D कर्मचारियों **पर लागू नहीं** होता है।
  - **MTS, चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप D सेवानिवृत्तों को छोड़कर,** 10,000 रुपए या उससे अधिक मासिक पेंशन वाले सभी सेवानिवृत्त पेंशनभोगी।
- **आयकरदाता**: जिन व्यक्तियों ने पिछले कर निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान किया है, उन्हें इस योजना से बाहर रखा गया है।
- **पेशेवर**: पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर भी इस योजना से बाहर रखे गए हैं।

योजना का प्रभाव

- **किसानों के लिये आय सहायता**: **अक्तूबर 2024** में 18वीं किस्त के साथ, कुल **संवितरण 3.45 लाख करोड़ रुपए** से अधिक हो गया, जिससे **11 करोड़ किसानों को लाभ हुआ।** यह छोटे और सीमांत किसानों को आय सहायता प्रदान करता है, जिससे ऋण पर निर्भरता कम होती है।
- **कुशल डिजिटल कार्यान्वयन**: यह योजना **आधार-आधारित सत्यापन** तथा **वास्तविक समय भुगतान ट्रैकिंग** के माध्यम से **100% प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित करती है**, जिससे **लीकेज न्यूनतम होता है** एवं **पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।**
- **ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा**: नियमित **वित्तीय सहायता से** कृषि इनपुट, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा पर खर्च को बढ़ावा मिलता है, जिसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा स्थानीय बाज़ारों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/pradhan-mantri-kisan-samman-nidhi-pm-kisan-